



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 196 राँची, मंगलवार

10 चैत्र, 1937 (श०)

31 मार्च, 2015 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

2 अगस्त, 2014

संख्या- भू०नि०(अन्वे०) 54/13-1120, एम० -- झारखण्ड राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा Chief Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 6 अप्रैल, 2010 के कंडिका-2 के आलोक में DGPS का उपयोग करते हुए प्रत्येक खनन पट्टा/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति का Geo-referenced Cadastral Map तैयार करने हेतु निम्नांकित संस्थानों को अधिमान्य (Empanelment) किया जाता है:-

क्र०	संस्थान का नाम एवं पता
1	Jharkhand Space Application Centre, Jharkhand, Ranchi
2	M/s. Cyber Swift Infotech Pvt. Ltd. Kolkata-700091
3	M/s. Gems Projects Pvt. Ranchi-834004, Jharkhand
4	M/s. Natural Resources Management & Techno-Consultancy Services, Keonjhar-758038
5	M/s. Gem Surveyors & Engineering Consultant, Jamshedpur, Jharkhand

2. अधिमान्यता प्राप्त संस्थान के लिए शर्तें:-

- 2.1 खनन पट्टा /पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्रों के प्रत्येक सीमा स्तम्भों का DGPS सर्वे के माध्यम से कम से कम 2 घंटे का Observation कर स्थल पर Boundary Piller की स्थिति निर्धारण हेतु
Co-ordinates ज्ञात करना ।
- 2.2 उपरोक्त विन्दु 2.1 में दर्शित कार्य के लिए खनन पट्टा /पूर्वक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को भुगतान करना होगा। DGPS सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनन पट्टा /पूर्वक्षण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जायेगा ।
- 2.3 DGPS सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा ।
3. यह अधिमान्यता (Empanelment) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द मोहन ठाकुर,
सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 196--50 ।